कार्यालय मुख्य वन संरक्षक

जगदलपुर वृत्त जगदलपुर बस्तर 494001 (छत्तीसगढ़)

फोन (कार्या) : 07782–222006 (निवास) : 227634 (फैक्स) : 07782–222120 E-mail-ccfjagdalpur@rediffmail.com

क्रं./व.त.अ./ 2804 जगदलपुर दिनांक 27/10/17

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
भू – प्रवंध
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202)from Bhopalpatnam - Taralaguda section in state of Chhattisgarh under LWE scheme, area - 104.885 ha. Regarding.

संदर्भ :–1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू– प्रवंध छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक /भू– प्रवंध/विविध/एल. एम.–115–618/1437 दिनांक 13.06.2016 ।

2. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर का पत्र क्रमांक /त.अ./ 8825 दिनांक 26.10.2017 ।

3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /2467 / दिनांक 24.10.2017 ।

—::000::—

विषयान्तर्गत् प्रतिवेदन है कि बीजापुर वनमण्डल अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 202 (नया 163) भोपालपटनम से तारलागुड़ा तक मार्ग LWE योजना अन्तर्गत 2 लाईन चौड़ीकरण कार्य हेतु निर्माण में आने वाले प्रत्यावर्तित वनभूमि 104.855 हे. प्रस्ताव पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू – प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र क्रमांक –1 द्वारा पंजीयन क्रमांक FP/CG/ROAD/19527/2016 आबंटित है।

वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल ने मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र छ. ग. रायपुर से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत वन विभाग से संबंधित जानकारी शामिल कर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर ने लेख किया है कि प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163 भोपालपट्नम से तारलागुड़ा 0 से 36 कि.मी. तक मार्ग का पूर्व से उपलब्ध चौड़ाई 07 – 09 मीटर को वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन कर 13.00 मीटर चौड़ाई में (18.00 हे. क्षेत्र) मिट्टी फैलाने तथा डब्लू.बी.एम. कार्य किया गया है, उल्लघंन हेतु आवेदक संस्थान के जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण संलग्न है एवं प्रस्ताव में भी उल्लेख है।

अतः वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 उल्लघंन हेतु आवेदक संस्थान पर दाण्डिक प्रावधान के साथ प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।
03 प्रतियों में

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

क्रं./व.त.अ./ 2805 जगदलपुर दिनांक 27/10/17

प्रतिलिपि :–

1. कमिश्नर, बस्तर – संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर, जिला – बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल बीजापुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र छत्तीसगढ़ रायपुर पेंशन बाड़ा रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/2467 दिनांक 24.10.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

Scanned by CamScanner